न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 40/2020

बालकृष्ण यादव, पता 2 त 10, हाउसिंग बोर्ड (कृष्णा नगर), भरतपुर
बनाम
लोक सूचना अधिकारी (सहायक कलेक्टर) झुंझुनूं।
—:—
सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 13.08.2020

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 15.07.2020 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 40/2020 पर दिनांक 15.07.2020 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (सहायक कलेक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (सहायक कलेक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020 /719—720 दिनांक 16.07.2020 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (सहायक कलेक्टर) झुंझुनूं ने अपने पत्रांक 269 दिनांक 27.7.2020 द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी बालकृष्ण यादव निवासी भरतपुर ने आर0टी0आई0 प्रार्थना पत्र मे सूचना गई थी कि सलोनी पुत्री दिनेश कुमार निवासी आनन्दपुरी गोठडा खेतडी झुंझुनूं EPIC NO XST 1100916 है। अतः 1. सलोनी के माता और पिता दोनो का नाम क्या है। 2. सलोनी का जन्म पंजीयन किस कमांक पर एवं किस सन् मे दर्ज है उस मूल जन्म पंजीयन रजिस्टर के पेज की प्रति को देने का श्रम करें। मय जन्म स्थान की प्रति को देने का श्रम करे। मय जन्म स्थान बताते हुए प्रति देवें। 3. जन्म पंजीयन हेतु किये गये आवेदन फार्म की प्रति देने का श्रम करे। उक्त आर0टी0आई0 के संबंध मे निवेदन है कि उक्त जन्म प्रमण पत्र इस कार्यालय से जारी नही किया गया है। प्रकरण उपखण्ड क्षेत्र खेतडी से संबंधित है। प्रकरण इस कार्यालय से संबंधित नही होने के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र कमांक 233 दिनांक 08.06.2020 को सूचना प्रेषित की जा चुकी है। आवेदक द्वारा आर0टी0आई0 के तहत प्रार्थना पत्र श्रीमान् लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक कलक्टर (प्रशासक) जिला झुंझुनूं के नाम पेश किया गया है। पूर्व मे कार्यालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) झुंझुनूं था, जिसका पदस्थापन चिडावा था एवं उक्त कार्यालय को ही बाद मे उपखण्ड कार्यालय चिडावा के रूप मे स्थानान्तरित कर दिया गया था। प्रकरण का इस कार्यालय से कोई संबंध नही है। अतः निवेदन है कि आवेदक को आर0टी0आई0 के तहत सूचना उपलब्ध कराने हेतु संबंधित कार्यालय को निर्देशित करने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (सहायक कलेक्टर) झुंझुनूं ने अपने पत्रांक 269 दिनांक 27.7.2020 द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी बालकृष्ण यादव निवासी भरतपुर ने आर0टी0आई0 प्रार्थना पत्र मे सूचना गई थी कि सलोनी पुत्री दिनेश कुमार निवासी आनन्दपुरी गोठडा खेतडी झुंझुनूं EPIC NO XST 1100916 है। अतः 1. सलोनी के माता और पिता दोनो का नाम क्या है। 2. सलोनी का जन्म पंजीयन किस कमांक पर एवं किस सन् मे दर्ज है उस मूल जन्म पंजीयन रजिस्टर के पेज की प्रति को देने का श्रम

जिला कलक्टर झुन्झुनू

करें। मय जन्म स्थान की प्रति को देने का श्रम करे। मय जन्म स्थान बताते हुए प्रति देवें। 3. जन्म पंजीयन हेतु किये गये आवेदन फार्म की प्रति देने का श्रम करे। उक्त आर0टी0आई0 के संबंध मे निवेदन है कि उक्त जन्म प्रमण पत्र उनके कार्यालय से जारी नही किया गया है। प्रकरण उपखण्ड क्षेत्र खेतडी से संबंधित है। प्रकरण उनके कार्यालय से संबंधित नही होने के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 233 दिनांक 08.06.2020 को सूचना प्रेषित की जा चुकी है। आवेदक द्वारा आर0टी0आई0 के तहत प्रार्थना पत्र श्रीमान् लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक कलक्टर (प्रशासक) जिला झुंझुनूं के नाम पेश किया गया है। पूर्व मे कार्यालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) झुंझुनूं था, जिसका पद्स्थापन चिडावा था एवं उक्त कार्यालय को ही बाद मे उपखण्ड कार्यालय चिडावा के रूप मे स्थानान्तरित कर दिया गया था। प्रकरण का उनके कार्यालय से कोई संबंध नही है। आवेदक को आर0टी0आई0 के तहत सूचना उपलब्ध कराने हेतु संबंधित कार्यालय को निर्देशित करने का निवेदन किया है। इससे प्रतीत होता है कि आवेदक का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अभी तक सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। **अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार योग्य होने से आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। लो0सू0अ0 (उपखण्ड अधिकारी) खेतडी को निर्देश दिये जाते है कि चुंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना व्यक्ति की निजी जानकारी से संबंधित है। आप उक्त सूचना के संबंध में दोनों पक्षों की सुनवाई कर नियमानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति लो0स0अ0 (सहायक कलक्टर), झुंझुनूं को भी प्रेषित की जावे।**

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 13.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं